न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2024(रसद) (GCMS 2024/338)	27.11.2024	29.01.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

दीपक डांगी पिता नाहरसिंह डांगी, राजस्थान गैस सर्विस, मंगलवाडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल नंबर 9950506460)

विपक्षी

उपस्थिति :– श्रीमती सुमन तिवारी (प्रवर्तन अधिकारी) पैरोकार सरकार
खुमराज कुमावत विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग के संबंध में कार्यवाही के दौरान विपक्षी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर कार्यवाही के दौरान विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन अनुसार है के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 7 व्यवासायिक गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस **33 Kg.** को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.01.2025 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 29.01.2025 को अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना–पत्र का निवेदन किया गया।

इस पर हाजिर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। सर्वप्रथम पैरोकार सरकार ने प्रार्थना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/एफ 65(1) खा.वि./एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 के क्रम में जिले में एलपीजी सिलेण्डरो के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं से जान–माल और राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुऐ दुरूपयोग को रोकने के लिये जिले में सघन अभियान चलाने के निर्देश खाद्य विभाग से प्राप्त हुए एवं प्राप्त निर्देशों की पालना में दिनांक 25.09.2024 को गई। सूचना के आधार पर राजस्थान गैस सर्विस मंगलवाडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण विपक्षी दीपक डांगी की उपस्थिति में किया गया।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि जब्तशुदा व्यसायिक गैस सिलेण्डर होकर विपक्षी के पारिवारिक सदस्यों के जिनको रिफिलिंग हेतु विपक्षी ले जा रहा था और आवेदक द्वारा राजनैतिक कारणों से उक्त झूठा प्रकरण दायर किया जाकर पेश किया है जो कि खारीज किये योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सकरार ने बताया कि विपक्षी से वक्त निरीक्षण 7 व्यवासायिक गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस **33 Kg.** पाये जाने से पूछताछ करने पर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर रफीक मोहम्मद द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे विपक्षी से उक्त सामग्री अभिग्रहित की जाकर श्री रमेश बैरागी पिता तुलसीराम बैरागी सेल्समेन शीतल भारत गैस ग्रामीण वितरण मंगलवाड की सुपुर्दगी में दिये गये है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग किया गया जिससे विपक्षी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 7 व्यवासायिक गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस **33 Kg.** को राजसात करने की कृपा करें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजाता का गहनता पूर्वक अध्ययन/ परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 7 व्यवासायिक गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस **33 Kg.** अनाधिकृत रूप से भण्डारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा न्यायालय को समक्ष किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है, जिससे आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 7 व्यवासायिक गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस **33 Kg.** को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 25.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी दीपक पिता नाहरसिंह डांगी, राजस्थान गैस सर्विस मंगलवाड की दुकान से जब्त शुदा 7 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस **33 Kg.** को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official